



आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

निविदा सूचना सं०-23/17-18

दिनांक -17/1/18

ई-निविदा सूचना

आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा निम्न कार्य हेतु निविदायें आमंत्रित की जाती हैं:-

क.स.	कार्य का नाम	अग्रिम धनराशि	अवधि	रेट (रु० में)	निविदा दिनांक
1.	ताजमहल के आस पास की सड़कों और अन्य सड़कों/फुटपाथ के सौन्दर्यीकरण के कार्यों की मॉनटरिंग हेतु एक एम.बी.ए./सोशल वर्क ग्रेजुएट व्यक्ति की आपूर्ति।	रु० 10,000	12 माह		22.01.2018

(1) उपरोक्त निविदाये दिनांक 18.01.2018 से 21.01.2018 तक आमंत्रित की जाती है। दिनांक 18.01.2018 से 21.01.2018 की अपरान्ह 03:00 बजे तक ई-निविदा पोर्टल www.etender.up.nic.in पर डाउनलोड/अपलोड की जा सकती है।


(2) उपरोक्त निविदाओं से सम्बन्धित समस्त नियम व शर्तें प्राधिकरण की वेबसाइट www.adaagra.in पर देखी जा सकती है।

सचिव

आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

आउटसोर्सिंग पर एम.बी.ए./सोशल वर्क ग्रेजुएट रखे जाने हेतु शर्तें:-

1. ऑफर के साथ अर्नेस्ट मनी रू0 10,000/- की एफ.डी.आर./एन.एस.सी. जो वित्त नियंत्रक, आगरा विकास प्राधिकरण आगरा के नाम हो, जमा कराना अनिवार्य है। बिना अर्नेस्ट मनी के ऑफर पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
2. उक्त ऑफर आउटसोर्सिंग एजेन्सी के माध्यम से आमंत्रित किया जा रहा है।
3. एजेन्सी को कम से कम 03 वर्षों का अनुभव एवं जी.एस.टी. नम्बर, पेन नम्बर तथा ई.एस.आई. व पी.एफ. में रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है एवं छायाप्रति भी संलग्न करें।
4. एजेन्सी द्वारा अपने ऑफर में वेतन, टैक्स इत्यादि स्पष्ट रूप से दर्शाये।
5. एजेन्सी के विरुद्ध किसी भी प्रकार का वाद/विवाद इत्यादि नहीं है का शपथ पत्र जो उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण के नाम होगा को प्रस्तुत करना होगा।
6. यह नियुक्ति पूर्णतः आउटसोर्सिंग आधारित है जिसके आधार पर तैनात व्यक्ति को किसी भी सम्बन्ध में आगरा विकास प्राधिकरण के विरुद्ध दावा करने का अधिकार नहीं होगा।
7. उक्त ऑफर में चयनित एजेन्सी से इच्छुक व्यक्ति का प्राधिकरण द्वारा गठित समिति द्वारा साक्षात्कार लिया जायेगा। जिसके उपरान्त ही व्यक्ति को तैनात किया जायेगा।
8. ऑफर स्वीकृत होने के उपरान्त साक्षात्कार हेतु तिथि निर्धारित करते हुए पत्राचार के माध्यम से सूचित किया जायेगा।
9. समस्त ऑफर या किसी ऑफर को बिना कारण बताये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण को होगा। ऑफर स्वीकृत होने की दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा।
10. किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा, जो दोनों पक्षों को मान्य होगा।


प्रभारी नजारत
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।